न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः- विनोद कुमार बागड़ी आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल वाद संख्या- 14/22 (CIS 12/22)
CNR No. RJJH010002112022

1. बबीता पुत्री नानगराम उर्फ महावीर पत्नी मुकेश निवासी स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, हाल निवासी भोदलासी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।
2. राकेश पुत्र नानगराम उर्फ महावीर निवासी स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
3. विकास कुमार पुत्र नानगराम उर्फ महावीर नाबालिग जरिए प्राकृतिक सरंक्षक माता विनोद देवी पत्नी नानगराम उर्फ महावीर निवासी स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

- वादीगण।

बनाम

1. पिंटु कुमार पुत्र नानगराम उर्फ महावीर निवासी स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
2. बालेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल, निवासी स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
3. नानगराम उर्फ महावीर पुत्र धन्नाराम, निवासी स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयुपरवाटी, जिला झुन्झुनू, हाल निवासी वार्ड नंबर-4 ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)।
4. चिंरजीलाल पुत्र मूलचंद,
5. नाथूराम पुत्र मूलचंद,
6. सुरेश कुमार पुत्र मूलचंद,
7. पतासी देवी पत्नी मूलचंद,

समस्त निवासीगण स्वामियों की ढ़ाणी ग्राम गुढ़ागौड़जी, तहसील उदयुपरवाटी, जिला झुन्झुनू।

- प्रतिवादीगण।

दावा बाबत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 जो पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-98 में पृष्ठ संख्या-67 क्रम संख्या-20210333110739 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-391 के पृष्ठ संख्या-141 से 150 पर चस्पा किया गया, प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः-

1. श्री बनवारीलाल सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण।
2. श्री विजयपाल द्वितीय, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण संख्या-2 व 3।
3. प्रतिवादी संख्या-1, 4 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक 24.08.2026**

1. वादीगण बबीता व अन्य की ओर से वर्तमान वाद दिनांक 01.02.2022 को श्रीमान जिला न्यायाधीश झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उक्त वाद अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि खसरा नंबर पुराना 454 रकबा 2 बीघा 5 बिश्वा, 450 रकबा 3 बिश्वा, 451 रकबा 2 बिश्वा, 452 रकबा 3 बीघा 11 बिश्वा व खसरा नंबर 423 रकबा 9 बीघा 14 बिश्वा ग्राम गुढ़ागौड़जी तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। ग्राम गुढ़ागौड़जी की सरहद में जैसा नाम का व्यक्ति था, जिसका सजरा वाद पत्र की मद संख्या-2 में वर्णितानुसार है। वाद वर्णित भूमियां जैसाराम की स्व.अर्जित भूमि है, जैसाराम प्रथम बंदोबस्त से पूर्व ही फौत हो गया एवं कब्जा काश्त के आधार पर जैसाराम के पुत्र धुड़ा व सकरिया उर्फ शकरू के नाम से राजस्व रिकार्ड कायम हुआ। धूड़ाराम की पत्नी का देहान्त धूड़ाराम के जीवनकाल में हो गया। धूड़ाराम के कोई जायन्दा संतान नहीं थी और धूड़ाराम का देहान्त हो गया। धूड़ाराम का देहान्त होने पर धूड़ाराम की भू-सपंदा उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत संकरिया उर्फ शकरू को प्राप्त हो गयी। संकरिया उर्फ शकरू के तीन पुत्र नागर उर्फ नागरिया, धन्ना व मूला उर्फ मूलचंद हुए। नागर उर्फ नागरिया भाईयों में सबसे बड़ा था, बड़ा होने के नाते नागर उर्फ नागरिया अपने पिता के जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार की बागडोर देखरेख, सार संभाल अपने अधिकार में लेकर संयुक्त हिन्दू परिवार का संचालनकर्ता एवं मुखिया की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगा। संकरिया उर्फ शकरू के पास धूड़ा के हिस्से की भूमि आने से भूमि अधिक होने से ज्यादा माल टैक्स लगता था और टैक्स लेने में जागीदार अपनी मनमर्जी करते थे। टैक्स से बचाने के लिए भूमि खसरा नंबर 450, 452, 451, 452, 454 ग्राम गुढ़ागौड़जी में धूड़ा व सकरियां उर्फ शकरू के नाम से चली आ रही थी को यथावत रहने दिया। रिकार्डेड खातेदार धूड़ा व सकरिया उर्फ शकरू का देहान्त हो गया। तत्पश्चात नागरिया उर्फ नागर, धन्ना, मूला उर्फ मूलचंद का भी देहान्त हो गया। सभी खातेदारान का विरासत का नामान्तकरण उनके जायज वारिसान के नाम से दर्ज राजस्व हुए। वाद पत्र की मद संख्या-1 में वर्णित भूमियों के नवीन खसरा नंबर वाद पत्र की मद संख्या-4 में वर्णितानुसार कायम किये गये। भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1063 ग्राम गुढ़ागौड़जी की मांगीलाल को जानकारी थी कि उक्त भूमि उसके पिता नागर उर्फ नागरिया की स्व. अर्जित नहीं थी बल्कि उसके पिताजी

ने भाईयों में सबसे बड़ा होने के नाते संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारियों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का बतौर मुखिया बनकर निर्वाह किया है। मात्र जागीरदारों से कर (माल) के बचाव के लिए नाम लिखवा लिया था। मांगीलाल अपने भाईयों से काफी अच्छा स्नेह, प्रेम एवं भाईयों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति होने से कभी भी भाईयों के हिस्से की भूमि पर कभी गलत नजर नहीं रखी और ना ही भाईयों का हिस्सा हड़पना चाहा। उक्त तमाम तथ्यों को नजर रखते हुए राजस्व कैंप गांवों के संघ में भूमि खसरा नंबर 1063 के तीन बराबर-बराबर हिस्से कर एक हिस्सा स्व. धन्ना के वारिसान, एक हिस्सा स्व. मूला उर्फ मूलचंद के वारिसान के नाम दिनांक 11.07.2013 को जरिए शुद्धि पत्र से करवा दिये। शुद्धि पत्र के अनुसार ही हल्का पटवारी ने नामान्तकरण दर्ज कर बाद तस्दीक चिरंजीलाल, नाथूराम, सुरेश पिता मूलचंद एवं पतासी देवी पत्नी मूलचंद हिस्सा 1/3 तथा नानगराम पुत्र धन्ना हिस्सा 1/3 और मांगीलाल पुत्र नागर उर्फ नागरिया हिस्सा 1/3 के रिकार्डेड खातेदार हुये। भूमि खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर से मात्र नानगराम पुत्र धन्नाराम का 1/3 हिस्सा विवादित है, शेष हिस्सा बाबत वादीगण का कोई विवाद नहीं है। वादीगण संख्या-1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की भू-संपदा है। पैतृक भू-संपदा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी में विरासत में प्राप्त होती रही है। उक्त पैतृक संपत्ति में वादीगण संख्या-1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या-1 का जन्म से ही हक हित निहित है। धारा 6 उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन कर दिये जाने के पश्चात हिन्दु कुटुम्ब में किसी सहदायिकी की पुत्री जन्म से व अपने अधिकार के साथ ही उस रिति में सहदायिकी बनेगी, जैसे पुत्र बनता है। सहदायिगी संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होगें। इसी अनुसार वादिया संख्या-1 प्रतिवादी संख्या-3 की जायन्दा पुत्री है। पैतृक एवं विरासत में प्राप्त भूमि में पिता के जीवनकाल में अपने हिस्से की घोषणा करवाये जाने की अधिकारी है। पैतृक एवं विरासत भू-संपदा में वादीगण प्रतिवादी संख्या-1 का हिस्सा सुरक्षित है। कभी भी अपने हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है। वाद वर्णित भूमि में वादीगण संख्या-1 लगायत 3 का 1/15-1/15 वां हिस्सा कुल 1/5 हिस्से पर काननून हक अधिकार आधिपत्य है।

3. वादीगण ने वाद पत्र में आगे अभिवचन किया है कि विवादित भूमि में वादीगण का सम्पूर्ण खाते में 1/5 वां हिस्सा कुल 0.4899 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या-1 का 1/15 वां हिस्सा 0.1633 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या-3 का 1/15 वां हिस्सा रकबा 0.1633 हैक्टेयर है। प्रतिवादी संख्या-3 ने भूमि खसरा नंबर 1063 में से 0.8166 हैक्टेयर में अपने हिस्से 0.1633 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि का बेचान दिनांक 30.10.2021 को प्रतिवादी संख्या-2 को कर दिया। प्रतिवादी संख्या-3 को मात्र 0.1633 हैक्टेयर भूमि ही बेचने का काननून हक अधिकार था। विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 विक्रय दिनांक से ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 के हक हकूकों के प्रति प्रारम्भ से ही प्रभावहीन, बेअसर, शून्यकरणीय होने योग्य है। विवादित संपत्ति संयुक्त अविभाजित कब्जे हक अधिकार एवं स्वामित्व की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 व 3 लगायत 7 की पैतृक संपदा है जिसका कभी वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या-3 नानगराम ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान कर दिया है, इस कारण विक्रय पत्र शून्यकरणीय होने से निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत विक्रय पत्र के जरिए प्रतिवादी

संख्या-2 को विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण उक्त विक्रय पत्र कब्जा प्राप्ति के अभाव में निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या-2 को विवादित विक्रय पत्र के जरिए संपत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है और प्रतिवादी संख्या-3 अब येन केन प्रकारेण जबरन बाहुबल व लठ की ताकत पर बलात कब्जा करवाने पर आमादा है और भू-सपंदा को छोटे-छोटे भूखण्डों में दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है, जिसका सहयोग शेष प्रतिवादीगण भी कर रहे है। इसलिए प्रतिवादी संख्या-2 लगायत 7 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या-2 दिनांक 20.12.2021 को 3-4 आदमियों के साथ खसरा नंबर 1063 पर कब्जा करने के लिए आया और एलानियां धमकी दी कि उसने नानगराम उर्फ महावीर पुत्र धन्नाराम का 1/3 हिस्से की भूमि को खरीद लिया है, जिस पर वादीगण ने उपपंजीयक गुढ़ागौड़जी कार्यालय में जाकर विक्रय पत्र की जानकारी ली। वादीगण को विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त हुई। अंत में वादीगण ने वाद निर्धारित न्यायशुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना बताते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादी संख्या-2 व 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनों को गलत होना बताया एवं कथन किया है कि खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में नानगराम के 1/3 हिस्से को वादीगण ने विवादित होना गलत रूप से कथित किया है। विवादित संपत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या-3 ने विवादित भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय दिनांक 30.10.2021 को प्रतिवादी संख्या-2 को कर दिया और विवादित संपत्ति पर कब्जा प्रतिवादी संख्या-2 को करवा दिया। विवादित संपत्ति पर वादीगण का कब्जा नहीं है। वादीगण वाद के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। अतः वाद वादीगण खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. प्रतिवादीगण संख्या-1, 4 लगायत 7 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा उक्त प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2023 को निम्न विवाद्यक कायम किये गयेः-

(1.) आया वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या-3 नानगराम उर्फ महावीर प्रसाद द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 बालेन्द्र कुमार के पक्ष में करवाया गया पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 वादीगण के हिस्से की हद तक शून्यकरणीय होने से निरस्त कराने का वादी अधिकारी है ?

- वादी।

(2.) आया वादी प्रतिवादीगण को अनुतोष के पैरा संख्या- 'ख' के अनुसार जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है ?

- वादी।

(3.) अनुतोष ?

7. अपने अभिवचनों के समर्थन में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 राकेश, पी.ड.2 हरलाल स्वामी, पी.ड.3 बजरंगलाल को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2015 से 18, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2015 से 18, प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2047–50, प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत् 2059–62, प्रदर्श 8 नामांतरण संख्या 2872, प्रदर्श 9 जमाबंदी संवत 2075–78, प्रदर्श 10 विक्रय पत्र दिनांकित 29.10.2021, प्रदर्श 11 मौका निरीक्षण कमिश्नर रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया गया।

8. प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.ड.1 बालेन्द्र कुमार को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए 1 सत्यप्रतिलिपि आदेशिकाएं दिनांक 11.11.2021 से 31.12.2021 तक, प्रदर्श ए 2 सत्यप्रतिलिपि दावा मय शपथ पत्र, प्रदर्श ए 3 आदेशिकाएं दिनांक 11.11.2021 से 30.12.2021, प्रदर्श ए 4 सत्यप्रतिलिपि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्शित करवाए गए।

9. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित भूमि पर प्रथम बंदोबस्त के समय से जैसाराम काबिज होकर काश्त करता रहा है। सन 1952 में जागीरदारी एवं सन 1955 में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, कब्जा काश्त के आधार पर जैसाराम के कब्जा काश्त की भूमियां धूड़ाराम व शंकरिया उर्फ शकरू को विरासत में प्राप्त हुई। जागीरदार काश्तकारों से अपनी मनमर्जी के अनुसार लगान वसूल करते थे, लगान से बचने के लिए भूमि खसरा नंबर 454, 450, 451, 452 धूड़ाराम व शकरू पिता जैसाराम व खसरा नंबर 423 नागरिया पुत्र शकरिया से राजस्व रिकार्ड बनाया गया। काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व शंकरिया उर्फ शकरू का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार में निवास कर रहा था। धूड़ाराम के नाऔलाद फौत हो जाने से विवादित संपदा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत शंकरिया उर्फ शकरू को प्राप्त हुई। खसरा नंबर 423 जिसके नये खसरा नंबर 1564 एवं वर्तमान खसरा नंबर 1063 कायम किये गये। मांगीलाल को यह जानकारी थी कि खसरा नंबर 1063 की भूमि उसके पिता नागर उर्फ नागरिया की स्वअर्जित नहीं है बल्कि नागरिया उर्फ नागर, धन्ना व मूला उर्फ मूलचंद के पिता शकरू उर्फ शकरिया के संयुक्त हिन्दू परिवार की भू–संपदा है। मांगीलाल ने राजस्व कैंप गांव के संग में भूमि खसरा नंबर 1063 के बराबर तीन हिस्से में एक हिस्सा धन्ना के वारिसान के नाम, दूसरा हिस्सा मूलचंद उर्फ मूला को तीसरा हिस्सा स्वयं के नाम रखकर दिनांक 11.07.2013 को शुद्धि पत्र से करवा लिये, जिसका नामान्तरण संख्या– 2872 ग्राम गुढ़ा में दर्ज करवा दिया। उक्त भूमि खसरा नंबर 1063 में नानगराम का का 1/3 हिस्सा विवादित है तथा शेष हिस्सा का कोई विवाद नहीं है। उक्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की भू–संपदा है और पैतृक भू–संपदा पीढी दर पीढी एक पीढी से दूसरी पीढी को विरासत में प्राप्त होती रही है। वादीगण पैतृक भूमि में अपना हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम ने 1/3 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या–2 को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 को कर दिया, जिसका उसे अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम को 1/3 हिस्से में से 1/5 अर्थात 1/15 हिस्सा बेचने का अधिकार था। अतः उक्त विक्रय पत्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के हक हकूकों के प्रति आरम्भ से ही प्रभावहीन, बेअसर व शून्यकरणीय होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त संपत्ति का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है एवं बटवारा के अभाव में बेचानशुदा भूमि का कब्जा हस्तान्तरित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिवादी संख्या–2 जबरन

बाहुबल एवं लाठी की ताकत एवं बलात कब्जा करने पर आमदा है। वादीगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि शेष नहीं है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिससे साबित है कि प्रतिवादी संख्या–2 का बेचानशुदा हिस्से पर ना तो कब्जा है और ना ही उसने कभी काश्त की है परन्तु उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है व संयुक्त हिन्दू परिवार के समय परिवार में किसी भी व्यक्ति के नाम हो, उसमें वादीगण के हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। राजस्व रिकार्ड हक अधिकार का सबूत नहीं होता है। राजस्व रिकार्ड केवल फिक्सल कार्यवाही है। इस प्रकार संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के चाहे संपत्ति शंकरिया के पुत्र नागरिया या अन्य किसी भी सदस्य के नाम से हो वह भू–संपदा संयुक्त हिन्दू परिवार की मानी जायेगी। वादी ने अपनी साक्ष्य से अपना वाद साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा है कि विवादित संपत्ति खसरा नंबर 423 जिसके नये खसरा नंबर 1564 एवं वर्तमान खसरा नंबर 1063 है, संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि प्रतिवादी संख्या–3 की स्वअर्जित संपत्ति है, जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या–3 ने प्रतिवादी संख्या–2 को अपने 1/3 हिस्से का बेचान किया है व मौके पर कब्जा दिया है, जिसे बेचने का प्रतिवादी संख्या–3 को अधिकार है। प्रतिवादी संख्या–2 वर्तमान में उक्त संपत्ति पर काबिज है। विवादित संपत्ति वादीगण के हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। न्यायालय का विवाद्यकवार विनिश्चय निम्नानुसार हैः-

विवाद्यक संख्या-1

''आया वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या-3 नानगराम उर्फ महावीर प्रसाद द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 बालेन्द्र कुमार के पक्ष में करवाया गया पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 वादीगण के हिस्से की हद तक शून्यकरणीय होने से निरस्त कराने का वादी अधिकारी है ?''

12. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद पत्र की मद संख्या-1 में वर्णित खसरा 450, 451, 452, 454 व 423 की भूमि अवस्थित होना बताया है, जिसे प्रतिवादीगण की ओर से विवादित नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र में उक्त संपत्ति जैसाराम की स्वअर्जित संपत्ति होना बताया है तथा उल्लेखित किया है कि प्रथम बंदोबस्त से पूर्व ही जैसाराम के हक व कब्जा की रही और जैसाराम के हक अधिकार के आधार पर जैसाराम के नाम राजस्व रिकार्ड कायम हुआ। धूड़ाराम नाआलौद फौत हो गया और स्व. धूड़ाराम की भू-संपदा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के तहत शंकरिया उर्फ शकरू को प्राप्त हुई। शंकरिया के तीन पुत्र नागरिया उर्फ नागर, धन्ना व मूला उर्फ मूलचंद हुए। नागर उर्फ नागरिया अपने भाईयों में सबसे बड़ा था और बड़ा होने के कारण नागर उर्फ नागरिया ने अपने पिता के जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार की बागडोर देखरेख अपने अधिकार में लेकर संयुक्त हिन्दू परिवार का संचालन कर्ता एवं मुखिया की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगा। शंकरिया उर्फ शंकरू के पास धूड़ा के हिस्से की भूमि आने से भूमि अधिक होने से माल लगता था और टैक्स लेने में जागीदार अपनी मनमर्जी करते थे। इस कारण टैक्स से बचने के लिए खसरा नंबर

423 की भूमि नागर उर्फ नागरिया ने अपने नाम लिखवा ली एवं खसरा नंबर 450, 451, 452, 454 की भूमि धूड़ा व सकरिया उर्फ शकरू के नाम से चली आ रही थी को यथावत रहने दिया। रिकार्डेड खातेदार धूड़ा व सकरिया का देहान्त हो गया तत्पश्चात् नागरिया उर्फ नागर, धन्ना, मूला उर्फ मूलचंद का भी देहान्त हो गया। सभी खातेदारान का विरासतन नामान्तरकरण उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ। भूमि खसरा नंबर 1063 नागर उर्फ नागरिया की स्वअर्जित भूमि नहीं होने व संयुक्त हिन्दू परिवार की होने की जानकारी नागर उर्फ नागरिया के पुत्र मांगीलाल को थी, इसलिए उसने राजस्व कैंप गांवों के संग में भूमि खसरा नंबर 1063 के बराबर-बराबर तीन हिस्से कर एक हिस्सा स्व. धन्ना के वारिसान, एक हिस्सा स्व. मूला उर्फ मूलचंद के वारिसान के नाम राजस्व कैंप गांवों के संग में दिनांक 11.07.2023 के जरिए शुद्धिपत्र करवा दिये। शुद्धिपत्र के आधार पर हलका पटवारी ने नामान्तकरण दर्ज किया तथा चिरंजीलाल, नाथूराम, सुरेश पिता मूलचंद, एवं पतासी देवी पत्नी मूलचंद हिस्सा 1/3, नानग पुत्र धन्ना हिस्सा 1/3 व शेष 1/3 मांगीलाल पुत्र नागर उर्फ नागरिया रिकार्डेड खातेदार हुए। वादीगण ने अपने वाद पत्र में आगे यह उल्लेखित किया है कि खसरा नंबर 1063 में मात्र नानग उर्फ महावीर का 1/3 हिस्से का विवाद है, शेष का कोई विवाद नहीं है। उक्त संपत्ति वादीगण संख्या-1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की भू-संपदा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त होती रही है व उक्त पैतृक भू-संपदा में वादीगण संख्या-1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या-1 का जन्म से ही हक निहित है। पैतृक संपत्ति में वादीगण काननून अपना हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण संख्या-1 लगायत 3 प्रतिवादी संख्या-3 की जाईन्दा पुत्री हैं और विरासत में प्राप्त भूमि में अपने पिता के जीवनकाल में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण का खसरा नंबर 1063 के 1/3 हिस्से में 1/5 हिस्से पर काननू हक अधिकार आधिपत्य है। प्रतिवादीगण संख्या-2 व 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित उक्त अभिवचनों का खण्डन करते हुए वाद पत्र में वर्णित उक्त अभिवचनों को गलत होना बताया है।

13. वादीगण की ओर से द्वारा जो गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उनमें गवाह पी.ड.1 के रूप में राकेश वादी संख्या-2 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों की अपने मुख्य परीक्षण बाबत शपथ पत्र में पुनरावृत्ति की है तथा खसरा नंबर 423 नये खसरा नंबर 1063 की भूमि नागर उर्फ नागरिया की स्वअर्जित नहीं होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की भू-संपदा बताते हुए उनका उस भूमि में जन्म से हक अधिकार हित निहित होना बताया है तथा जाहिर किया है कि उक्त भूमि नागर उर्फ नागरिया के नाम लगान से बचने के लिए दर्ज करवा दी व नागर उर्फ नागरिया के पुत्र मांगीलाल को इसकी जानकारी थी, जिस कारण राजस्व कैंप गावों के संग में दिनांक 11.07.2013 को उक्त भूमि के तीन हिस्से करवा दिये और हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर उक्त भूमि में एक हिस्सा मूला उर्फ मूलचंद, एक हिस्सा धन्ना के वारिसान के नाम व शेष 1/3 हिस्सा मांगीलाल के नाम रिकार्ड में दर्ज किया गया। इस प्रकार वादी पी.ड.1 राकेश द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में जो साक्ष्य न्यायालय में पेश की है उसमें भूमि खसरा नंबर 1063 पुराने खसरा नंबर 423 को विवादित किया गया है एवं उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भू-सपंदा होना बताया है व उक्त भूमि का

पैतृक भू-संपदा होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के हक अधिकार निहित होना बताया है व उक्त संपत्ति का पैतृक संपत्ति होने के कारण उसमें नागर उर्फ नागरिया के पुत्र मांगीलाल द्वारा भूमि के तीन हिस्से करवाना व उक्त भूमि में नानग उर्फ महावीर का 1/3 हिस्सा होना जाहिर किया है। उक्त गवाह पी.ड.1 राकेश ने अपने बयान में जाहिर किया है कि पैतृक भू-संपदा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी को विरासत में प्राप्त होती रही है। उक्त पैतृक भू-सपंदा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का जन्म से हक निहित हैं। गवाह ने अपने वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों के अनुरूप कथन करते हुए जाहिर किया है कि भूमि खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या-3 का 1/3 हिस्सा 0.8166 की भूमि विरासत में प्राप्त हुई है व उक्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/15 हिस्सा है अर्थात उनका सम्पूर्ण खाता में 1/5 हिस्सा 0.4899 हैक्टेयर हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या-1 का 1/15 हिस्सा 0.1633 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या-3 का 1/15 हिस्सा 0.1633 हिस्सा है। उक्त गवाह पी.ड.1 राकेश ने अपने वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों के अनुरूप कथन करते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या-3 ने उक्त भूमि में अपने हिस्से 0.1633 हैक्टेयर से ज्यादा हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 30.10.2021 को प्रतिवादी संख्या-2 को कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या-3 को मात्र 0.1633 हैक्टेयर भूमि बेचान करने का अधिकार था जिस कारण विवादित विक्रय पत्र दिनांकित 30.10.2021 उसके व वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 के हक अधिकारों के प्रति आरम्भ से ही प्रभावहीन व शून्यकरणीय है।

14. प्रतिवादीगण सं.2 व 3 द्वारा जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रतिवादीगण ने विवादित संपत्ति को पैतृक भू-संपदा होने को गलत बताया है एवं उक्त भूमि में वादीगण संख्या-1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा होना एवं वादीगण का सम्पूर्ण खाता में 1/5 हिस्से का हक व अधिकारी होना गलत बताया है व प्रतिवादी संख्या-1 का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-3 का 1/15 हिस्सा होना भी गलत बताया है तथा यह भी गलत बताया है कि प्रतिवादी संख्या-3 ने खसरा नंबर 1063 में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या-2 को कर दिया हो। प्रतिवादी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की है, उसमें गवाह डी.ड.1 बालेन्द्र कुमार ने अपने बयान में जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या-3 नानग उर्फ महावीर ने खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का बेचान 11,50,000/- रूपये प्रतिफल के बदले अपनी वैध निजी तथा पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन राशि की आवश्यकता होने पर कब्जे सहित किया है और दिनांक 29.10.2021 को विक्रय पत्र उसके हक में निष्पादित कर दिनांक 30.10.2021 को गवाहान की मौजूदगी में उपपंजीयक गुढ़गौड़जी के समक्ष पंजीबद्ध करवाया है तथा स्वयं द्वारा क्रय की गई भूमि पर स्वयं का कब्जा होना बताया है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का उक्त विक्रय की गई भूमि पर कोई हक हिस्सा नहीं होना, ना ही रहना एवं विक्रय की गई जमीन वादीगण की पैतृक संपदा नहीं होना जाहिर किया है। वादीगण की ओर से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2021 की प्रमाणित प्रदर्श-10 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवायी गई है, जिसका अवलोकन करें तो उक्त **विक्रय पत्र में 11,50,000/- रूपये प्रतिफल में खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में विक्रेता नानगराम द्वारा अपने 1/3 हिस्से की भूमि का विक्रय किया जाकर अपने सम्पूर्ण हिस्से के अनुसार**

वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से कब्जा, स्वामित्व व अधिकार करवाना एवं अपना कब्जा स्वामित्व शून्य करने का उल्लेख किया है। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता नानगराम ने क्रेता प्रतिवादी संख्या–2 बालेन्द्र को 11,50,000/– रूपये प्रतिफल की एवज में खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का विक्रय किया जाना दर्शित होता है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवादित है कि नानगराम द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 बालेन्द्र के पक्ष में खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का विक्रय किया गया था।

15. उक्त विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 को वादीगण द्वारा कई आधारों पर चुनौती दी गई है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण की ओर से अभिवचन किया गया है कि विवादित संपदा संयुक्त हिन्दू परिवार के कब्जे व हक अधिकार व स्वामित्व की संपत्ति है, जिसका किसी भी रूप में विभाजन वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 7 के मध्य नहीं हुआ है तथा वादग्रस्त भू संपदा में प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम उर्फ महावीर ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान कर दिया है तथा उक्त विक्रयशुदा भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण नहीं हुआ है एवं कब्जा प्राप्ति के लिए प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से सक्षम न्यायालय के समक्ष विभाजन का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त वाद पत्र में वादीगण की ओर से यह उल्लेखित किया गया है कि विक्रय पत्र दिनांकित 30.10.2021 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या–3 ने खसरा नंबर 1063 रकबा 08166 हैक्टेयर भूमि का प्रतिफल प्राप्त किया है जबकि प्रतिवादी संख्या–3 को सम्पूर्ण भूमि का विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या–3 विवादित भूमि में 1/15 हिस्से तक की प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकारी था, शेष प्रतिफल वादीगण संख्या–1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या–1 प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में उक्त अभिवचनों को गलत बताया गया है लेकिन उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होकर प्रतिवादी संख्या–3 को उक्त संपत्ति किस प्रकार प्राप्त हुई, इस संबंध में उल्लेख प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है। यद्यपि उक्त संपत्ति के पैतृक एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति होने एवं उक्त संपत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 का जन्म से हक अधिकार होने के तथ्यों से प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में प्रत्याख्यान तो किया है लेकिन कोई विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान नहीं किये हैं। आदेश 08 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान किया गया है **''यदि वाद पत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टतः या आवश्यक विवक्षा में प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या यह प्रतिवादी के अभिवचनों में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता है तो जहां निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, वह स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।''**उक्त नियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे स्वीकार किये गये किसी भी तथ्य को ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किए जाने की अपेक्षा न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **न्यू प्रजापति ब्रिक्स कंपनी जरिए प्रोपराईटर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य 2008(2) RLW (Raj) 1109** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी को अपना केस स्वयं साबित करना है, उसे विपक्षी पाटी की कमजोरी का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यद्यपि प्रतिवादी की ओर से

विवादित संपत्ति पैतृक भू–संपदा होने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान (Special Denial) जवाब दावा में नहीं किया है बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा किया गया प्रत्याख्यान वांग्छलपूर्ण प्रत्याख्यान (evasive denial) की श्रेणी में आता है। लेकिन जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वादीगण को अपना केस स्वयं साबित करना है, उसे विपक्षी की कमजोरी का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि विवादित संपत्ति प्रतिवादी संख्या–3 की स्वअर्जित नहीं है, तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित संपत्ति है एवं विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति होने से उक्त संपत्ति में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या–1 का विवादित संपत्ति में जन्म से अधिकार निहित है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा RRT 2020(2) 998** में यह प्रावधानित किया है कि पुत्रियां भी पुत्र के समान सहदायिकी की स्थिति को प्राप्त करेगी। वह सहदायिकी की स्थिति उन अधिकारों व दायित्व के सहित प्राप्त करेगी, जैसा कि पुत्र रखता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 (संशोधित) के प्रभाव में आने की दिनांक 09.09.2005 को पुत्री व पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सहदायिकी में अधिकार जन्म से है, लेकिन वादीगण को अपनी साक्ष्य से यह साबित करना है कि विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू पिरवार की पैतृक संपत्ति है, जिसका किसी भी प्रकार से विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 7 के मध्य नहीं हुआ है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड.1 राकेश ने अपने वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए उक्त संपत्ति को पैतृक संपत्ति होना बताया है, जिससे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह डी.ड.1 बालेन्द्र कुमार ने इन्कार किया है।

16. वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह पी.ड.1 राकेश कुमार ने यद्यपि मुख्य परीक्षा में उक्त संपत्ति को पैतृक संपत्ति होना जाहिर किया है लेकिन जिरह में जाहिर किया है कि उसने जैसाराम, धूड़ा व शंकरिया को कभी नहीं देखा। गवाह ने इससे इन्कार किया है कि धूड़ा शंकरिया व जैसाराम विवादित संपत्ति के कभी भी खातेदार नहीं रहे हों। गवाह ने इस सुझाव को भी गलत होना बताया है विवादित जमीन उसके पिता नानगराम उर्फ महावीर की स्वअर्जित संपत्ति हो। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि विवादित जमीन के पुराने खसरा नंबर 423 रहे एवं वर्तमान खसरा नंबर 1063 हैं किन्तु गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि विवादित जमीन में उसके दादा व परदादा ने कभी लगान नहीं दिया हो लेकिन गवाह ने यह जाहिर किया है कि दादा व परदादा द्वारा अदा किये गये लगान की रसीदें नहीं हैं। गवाह ने जाहिर किया कि यह सही है कि लगान की रसीदें उनके पास इसलिए नहीं हैं कि उसके दादा परदादा ने कभी लगान दिया ही नहीं। यह सही है कि उन्होनें दावे के साथ काश्त के संबंध में दादा, परदादा के नाम की खसरा गिरदावरियां पेश नहीं की है। गवाह ने यह भी जाहिर किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसके पिता ने रूपये लेकर बालेन्द्र को जमीन बेची हो लेकिन यह स्वीकार किया कि विक्रय पत्र प्रदर्श–10 में लिखी गई बाते सहीं है तथा यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–5, प्रदर्श–7 में जमीन गत खसरा नंबर 423 धूड़ा, शंकरिया व जस्साराम के नाम का अंकन नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जमीन के संबंध में उसने ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है, जिसमें विवादित जमीन, उसके दादा,

परदादा की खातेदारी में दर्ज रही हो तथा उनके कब्जे, काश्त में रही हो। गवाह ने जाहिर किया कि उसके पता नहीं है कि उसके पिता ने बालेन्द्र को जमीन राजीखुशी बेची हो। यह सही है कि उनके घर का मुखिया उसका पिता नानगराम है।

17. गवाह पी.ड.2 हरलाल स्वामी ने मुख्य परीक्षा बाबत शपथ पत्र में जाहिर किया है कि जैसाराम नाम का व्यक्ति गुढ़ागौड़जी में हुआ, जैसाराम के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 423, 450, 451, 454 थी। जैसाराम को वह व्यक्तिगत रूप से जानता है। जागीर के समय जागीरदार जमीनों का माल अपनी मर्जी से लेते थे। माल के बचाव के लिए खसरा नंबर 450, 451, 452, 454 की गिरदावरी धूड़ा व शकरू तथा खसरा नंबर 423 की गिरदावरी नागरिया के नाम से करवाई गई, जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड बना। धुड़ाराम के नाऔलाद फौत होने पर धुड़ा का हिस्सा भी शकरू उर्फ शंकरिया के नाम हो गया एवं खसरा नंबर 423 नगार उर्फ नागरिया पुत्र शकरू के नाम से हो गया। प्रथम पैमाईश के समय धूड़ा व शकरू का संयुक्त हिन्दू परिवार था और एक जगह खाना पीना, रहन सहन था व काश्त शामिल में करते थे। शकरू उर्फ शंकरिया के फौत होने पर शंकरिया से विरासत में प्राप्त भूमियों का नामान्तकरण नागर उर्फ नागरिया, धन्ना व मूला उर्फ मूलचंद के नाम से भरा गया। रिकार्डेदार खातेदार नागर उर्फ नागरिया, धन्ना, मूला उर्फ मूलचंद ने अपने जीवनकाल में विरासत में प्राप्त भूमियों का मौखिक भाई बंटवारा कर लिया। रिकार्डेड खातेदार के फौत होने पर नागर उर्फ नागरिया का हिस्सा मांगीलाल, धन्ना का हिस्सा महावीर उर्फ नानग व मूला उर्फ मूलचंद का हिस्सा चिरंजी, सुरेश, नाथ व पतासी के नाम हो गया। मांगीलाल जानता था कि खसरा नंबर 423 की भूमि जैसाराम से विरासत में प्राप्त हुई है। अतः उसने तीसरा हिस्सा रखते हुए एक हिस्सा महावीर उर्फ नानग तथा एक हिस्सा मूला के वारिसान के नाम करवाकर खाता सही करवा दिया। महावीर उर्फ नानग के हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 मौके पर काबिज काश्त एवं कच्चे मकान बनाकर आवास निवास कर रहे हैं। इस प्रकार गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में खसरा नंबर 423 की भूमि जैसाराम से विरासत में प्राप्त होना बताया है एवं विरासत में ही उक्त भूमि नानग उर्फ नागरिया को प्राप्त होना बताया है तथा नानग उर्फ नागरिया के पुत्र मांगीलाल द्वारा अपना तीसरा हिस्सा रखते हुए 1/3 हिस्सा नानग उर्फ महावीर को एवं 1/3 हिस्सा मूला के वारिसान के नाम दर्ज करवाना बताया है। उक्त भूमि का जैसाराम व उसके पुत्रों धूड़ा, शकरू उर्फ शकरिया के नाम होने व नानग उर्फ महावीर को विरासतन प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है, जबकि गवाह पी.ड.2 ने अपने बयान में जाहिर किया है कि नानगराम ने बालेन्द्र को जो जमीन बेची थी वो उसकी खुद की संपति थी, नानगराम को रूपयों की जरूरत थी, इस कारण उसने जमीन बेची थी। इस प्रकार गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में जमीन खसरा नंबर 423 वर्तमान खसरा नंबर 1063 को जहां जैसाराम से विरासत में प्राप्त होना बताया है वहीं जिरह में उक्त संपत्ति नानगराम की खुद की संपत्ति होना एवं रूपयों की जरूरत होने पर उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या–2 बालेन्द्र को बेचना बताया है। गवाह पी.ड.3 बजरंग लाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने खेत में कुआ बनाकर सिंचाई के लिए विद्युत पंपसेट लगा रखा है, वह अपने पंपसेट से पिंटू, राकेश, विकास व बबीता को उनके हिस्से की भूमि में काश्त करने के लिए पानी दे रहा है, इससे पहले नानगराम

को काश्त करने के लिए पानी दिया। नानगराम से पहले नानगराम की मां मनकौरी को भी डीजल इंजन से पानी देता रहा है, जिसके बदले अनाज लेता था, लेकिन गवाह ने अपने बयान में किस खसरा नंबर की भूमि को काश्त करने के लिए पानी दिया, यह जाहिर नहीं किया है।

18. जो दस्तावेज वादीगण की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं उनमें जमाबंदी प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–5 व 7 में खसरा नंबर 423 की भूमि धूड़ा, शकरू उर्फ शकरिया पुत्र जैसाराम के नाम होने का अंकन नहीं होना दर्शित होता है। जमाबंदी प्रदर्श–1 का अवलोकन करें तो उक्त जमाबंदी संवत 2015 से 18 के मध्य की है एवं उक्त जमाबंदी खसरा नंबर 454, 450, 451, 452 के संबंध में है, जिसके खातेदार धूड़ा व शकरू को होना बताया गया है। जमाबंदी प्रदर्श–2 का अवलोकन करें तो उक्त जमाबंदी खसरा नंबर 423 की है, जिसका खातेदार नागरिया को बताया गया है। जमाबंदी संवत 2047–50 प्रदर्श–5 का अवलोकन करें तो उक्त जमाबंदी में खातेदार नागर, मूला, महावीर पुत्र धन्ना को बताया गया है। उक्त जमाबंदी खसरा नंबर 1090, 1097 व 1098 व 1106 के संबंध में है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करें तो उक्त मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नंबर 450, 452, 451, 452 व 454 के नये खसरा नंबर 1090, 1097 व 1098 व 1106 होना दर्शित होता है, इसी प्रकार प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल से खसरा नंबर 423 के नये खसरा नंबर 1564 होना दर्शित होता है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 का अवलोकन करें तो खसरा नंबर 1564 के नये खसरा नंबर 1063 होना दर्शित होता है। जमाबंदी प्रदर्श–7 का अवलोकन करें तो खसरा नंबर 1063 जिसके पुराने खसरा नंबर 423 हैं, जिसके संबंध में विक्रय पत्र तस्दीक हो चुका है तथा जिसके सबंध में प्रकरण में विवाद है, उक्त भूमि मांगीलाल, गीता बेवा नागरिया के नाम से होना दर्शित होता है। जमाबंदी प्रदर्श–8 का अवलोकन करें तो उक्त जमाबंदी में खसरा नंबर 1063 के तीन हिस्से होना दर्शित होता है, जिसमें 1/3 हिस्सा मांगीलाल, गीता एवं चावली, 1/3 हिस्सा नानगराम, संतोष, ललिता एवं मनकोरी व 1/3 हिस्सा चिरंजीलाल, सुरेश, नाथूराम, सुंदर नानीबाई, रामप्यारी, मुन्नी बाई एवं पतासी देवी के नाम दर्ज होना दर्शित होता है। इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसका अवलोकन करें तो किसी भी दस्तावेज में खसरा नंबर 423 हाल खसरा नंबर 1063 प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम के पिता धन्नाराम के नाम एवं धन्नाराम से पहले उसके पिता संकरियां उर्फ शकरू के नाम से एवं संकरिया उर्फ शकरू से पहले उसके पिता जैसा राम के नाम होना दर्शित नहीं होता है परन्तु जमाबंदी प्रदर्श–2 के अवलोकन से सवंत 2015–2018 में खसरा नंबर 423 की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1063 है, नागरिया के नाम दर्ज होना दर्शित होता है। जमाबंदी प्रदर्श–7 का अवलोकन करें तो उक्त जमाबंदी में खसरा नंबर 1063 मांगीलाल पुत्र नागरिया, गीता बेवा नागरिया के नाम से दर्ज होना दर्शित होता है। यद्यपि जमाबंदी प्रदर्श–8 में उक्त खसरा नंबर 1063 में 1/3 हिस्सा मांगीलाल, गीता एवं चावली का, 1/3 हिस्सा नानगराम, संतोष, ललिता, मनकोरी व 1/3 हिस्सा चिरंजीलाल, सुरेश, नाथूराम, सुंदर नानीबाई, रामप्यारी, मुन्नी बाई एवं पतासी देवी के नाम होना दर्शित होता है लेकिन इससे उक्त संपत्ति जैसाराम की पैतृक संपत्ति रही हो, यह साबित नहीं होता है एवं ना ही यह साबित होता है कि पैतृक संपत्ति खसरा

नंबर 423 में नानगराम उर्फ महावीर को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। जहां तक उक्त दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन करें तो उक्त संपत्ति खसरा नंबर 423 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1063 हैं, नागर उर्फ नागरिया की होना तत्पश्चात मांगीलाल को प्राप्त होना एवं मांगीलाल द्वारा धन्ना व मूला के वारिसान को 1/3-1/3 हिस्सा देना एवं 1/3 हिस्सा स्वयं रखना दर्शित होता है, इससे यह दर्शित होता है कि उक्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति नही थी। यद्यपि वादीगण ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति को पैतृक भू-संपदा होना जाहिर किया हैः-

(1)AIR 1995 SC (297) Kondiram Bhiku Kirdat Vs Krisha bhiku Kirdat (Deceased by LR's):- उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई हो या पारिवारिक संपति में पुत्रों का योगदान हो या पुत्रों द्वारा अर्जित की गई हो, संपत्ति संयुक्त परिवार की मानी जाएगी। हस्तगत प्रकरण में विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार में रहते हुए नागरिया द्वारा अर्जित की गई हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तथा ना ही उक्त संपत्ति जैसाराम से नागरिया को प्राप्त हुई है, इस संबंध में साक्ष्य पेश की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

(2.) AIR 1995 Karnataka 35 The Vijaya College trust Vs the Kumta Co-operative Arecanut Sales Society Ltd. & Another:- उक्त न्यायिक दृष्टान में मााननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कई बार प्रचुर मात्रा में संपत्ति होने से पिता द्वारा पुत्र को शामिल कर लिया जाता है तो वह संपत्ति भी संयुक्त हिन्दू परिवार की मानी जाएगी। हस्तगत प्रकरण में जो साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई, उनमें वादी राकेश की उम्र 21 वर्ष है, अर्थात उक्त गवाह इस बात की साक्ष्य नहीं दे सकता कि उक्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित एवं पैतृक संपत्ति रही हो। यद्यपि वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड.2 हरलाल स्वामी की आयु 76 वर्ष है लेकिन उक्त गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि विवादित संपत्ति नानगराम की खुद की संपत्ति थी और उसने रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रतिवादी संख्या-2 बालेन्द्र को बेची थी। ऐसी स्थिति में उक्त संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति रही हो और संपत्ति प्रचूर मात्रा में होने से उसको नानगराम के नाम कर दिया हो।

(3.) AIR 2014 SC 937Union of India & Ors Vs Vasavi Coop. Housing Society Ltd. And Others :- उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पैतृक भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के समय परिवार में किसी भी व्यक्ति के नाम हो, उसमें से वादीगण के हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। राजस्व रिकार्ड हक का सबूत नहीं होता है, राजस्व रिकार्ड मात्र लगान वसूली के लिए एक सुविधा बनायी गई है। हस्तगत प्रकरण में विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति होने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित संपत्ति जैसाराम की सपत्ति रही हो तत्पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को उक्त संपत्ति प्राप्त हुई हो। राजस्व रिकार्ड में उक्त संपत्ति नागर उर्फ नागरिया के नाम रही तत्पश्चात उसके पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज की गई है

एवं मांगीलाल द्वारा उक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम उर्फ महावीर को दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

(4.) AIR 1999 Patna 189Chunia Mahatani Vs Sobha Mahto:– उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दु परिवार के संयुक्त होने की उपधारणा की जाएगी जब तक इसके विपरीत संयुक्त हिन्दु परिवार का विभाजन न कर दिया गया हो। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है लेकिन विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की रहते हुए संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित की गई हो, ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की रही हो, यह दर्शित नहीं होता है।

(5) AIR 1997 Orissa 45 Sidha Sahoo & Ors. Vs Jhuma Dei & Ors.:– उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा श्रम/मेहनत से पैदा की गई संपत्ति भी संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। हस्तगत प्रकरण में विवादित संपत्ति प्रतिवादी संख्या–3 के पास मांगीलाल द्वारा दी गई है, मांगीलाल के पास उक्त संपत्ति उसके पिता नागर उर्फ नागरिया से आयी हो, ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

(6.) RRD 2012 (579) Mangal Ram Vs Board of Revenue & Ors.:– उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियां वित्तीय प्रकृति की होती है एवं स्वामित्व का निश्चायक प्रमाण नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है लेकिन राजस्व रिकार्ड से विवादित संपत्ति का पैतृक संपत्ति होना दर्शित नहीं होता है।

19. विवादित संपत्ति का पैतृक संपत्ति नहीं होने बाबत कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है तथा यह गवाह डी.ड.1 बालेन्द्र कुमार ने स्वीकार भी किया है लेकिन यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। हस्तगत प्रकरण में विवादित संपत्ति का पैतृक संपत्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति होना वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति या संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति होने से उसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 का कोई हक निहित हो, यह साबित नहीं होता है।

20. वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी जाहिर किया है कि प्रतिवादी संख्या–3 ने अपने हिस्से से ज्यादा हिस्से का बेचान कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम उर्फ महावीर प्रसाद का 1/3 हिस्सा होना दर्शित होता है। विक्रय पत्र प्रदर्श–10 का अवलोकन करें तो उक्त 1/3 हिस्सा विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया है। जहां तक विवादित भूमि पर क्रेता को कब्जा नहीं

दिए जाने का संबंध है तो प्रदर्श–10 का अवलोकन करें तो उक्त विक्रय पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि विक्रीत संपत्ति से विक्रयकर्ता ने विक्रीत संपदा पर क्रयकर्ता का अपने समान हिस्सानुसार वास्तविक व व्यावहारिक रूप से कब्जा, स्वामित्व एवं अधिकार करवा दिया है व अपना कब्जा शून्य कर लिया है। जहां तक विवादित संपत्ति पर वादीगण के काबिज होने का संबंध है तो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण की ओर से पेश नहीं की गई है, जिससे विवादित संपत्ति में वादीगण का कब्जा होना साबित होता हो। यद्यपि वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.3 बजरंलाल को पेश किया है, जिसके द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि काश्त करने के लिए पंपसेट से पानी देना व इससे पहले नानगराम व उसकी माता को डीजल इंजन से पानी देना बताया है लेकिन किस खसरा नंबर की भूमि में सिंचाई करने के लिए पानी दिया गया, इस संबंध में गवाह ने अपने बयान में जाहिर नहीं किया है। विवादित संपत्ति पर कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण की ओर से पेश नहीं की गई है,ऐसी स्थिति में विक्रयशुदा संपत्ति में कब्जा हस्तान्तरित नहीं हुआ हो, यह साबित नहीं होता है।

21. वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी जाहिर किया है कि विवादित संपत्ति का अभी तक विभाजन नही हुआ है और न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से विभाजन का कोई दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस संबंध में संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 44 में यह प्रावधान किया गया है **''जहां अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक सह स्वामियों में से कोई एक जो इस संबंध में विधिवत सक्षम हो, ऐसी संपत्ति में अपना हिस्सा या उसमें कोई हित हस्तांतरित करता है, तो हस्तांतरिती को ऐसे हिस्से या हित के संबंध में और हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सीमा तक हस्तांतरण कर्ता का संयुक्त कब्जे या संपत्ति के अन्य सामान्य या आंशिक उपयोग का अधिकार और उसी के विभाजन को लागू करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन हस्तांतरण की तिथि पर हस्तांतरित हिस्से या हित को प्रभावित करने वाली शर्तों और दायित्वों अधीन रहते हुए।''** इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिवादी संख्या–3 को विवादित संपत्ति में 1/3 हिस्से का खातेदार होने के कारण अपने हिस्से को प्रतिवादी संख्या–2 को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है एवं प्रतिवादी संख्या–2 को उक्त संपत्ति में अपना हिस्से तक हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है तथा विक्रय प्रदर्श–10 में यह उल्लेखित किया गया है कि विक्रेता ने विक्रीत संपदा इस पर क्रयकर्ता का अपने समान हिस्सानुसार वास्तविक व व्यावहारिक रूप से कब्जा, स्वामित्व एवं अधिकार करवा दिया है व अपना कब्जा शून्य कर लिया है। इस प्रकार संपत्ति का विभाजन हुए बिना भी प्रतिवादी संख्या–3 विक्रेता को अपना 1/3 हिस्से का विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था एवं अपने उक्त हिस्से के अनुसार ही विक्रय किया जाकर कब्जा क्रेता को दिया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह उल्लेख करना कि अपने हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति होना साबित नहीं होने से उक्त विक्रय भूमि में वादीगण का कोई हक अधिकार होना भी साबित नहीं होता है। अतः जो आधार विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित किये हैं, उन आधारों पर प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम उर्फ महावीर प्रसाद द्वारा प्रतिवादी

संख्या–2 बालेन्द्र के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 30.10.2021 को वादीगण के हिस्से तक शून्यकरणीय होना साबित नहीं है। अतः उक्त विवाद्यक संख्या–1 का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

"आया वादीगण प्रतिवादीगण को अनुतोष के पैरा संख्या– 'ख' के अनुसार जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं ।'’

22. उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि विवादित संपत्ति वादीगण संख्या–1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या–1 की पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की भू–संपदा है तथा पैतृक भू–संपदा पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी में विरासत में प्राप्त होती रही है। उक्त पैतृक संपत्ति में वादीगण संख्या–1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या–1 का जन्म से ही हक हित निहित है व वादीगण संख्या–1 लगायत 3 प्रत्येक का विवादित संपत्ति में 1/5 वां हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण खाता में 1/15–1/15 हिस्सा है व वादीगण का उक्त संपत्ति में 1/5 हिस्सा रकबा 0.4899 हैक्टेयर, व प्रतिवादी संख्या–1 का 1/15 वां हिस्सा रकबा 0.1633 है एवं प्रतिवादी संख्या–3 का 1/15 हिस्सा 0.1633 है लेकिन प्रतिवादी संख्या–3 ने उक्त भूमि में अपने हिस्से 0.1633 से ज्यादा 0.8166 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 30.10.2021 को प्रतिवादी संख्या–2 को कर दिया है। प्रतिवादी संख्या–3 को मात्र 01.633 हैक्टेयर भूमि बेचान किए जाने का अधिकार था। उक्त विक्रय पत्र को चुनौती वादीगण द्वारा विभिन्न आधारों पर दी गई है और विक्रय पत्र को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध आरम्भ से ही शून्यकरणीय होने से विक्रय पत्र को वादीगण के 1/5 हिस्से तक निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है तथा जाहिर किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 के जरिए विक्रय की गई संपत्ति के कब्जे का हस्तान्तरण नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या–3 व प्रतिवादी संख्या–2 जबरन बाहुबल, लाठी की ताकत, ब्लात कब्जा करने पर आमदा है। वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों के अनुरूप कथन गवाह पी.ड.1 राकेश ने अपने बयान में किये हैं लेकिन भूमि का पैतृक भू–संपदा होना वादीगण अपनी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये हैं। वादीगण द्वारा परीक्षित गवाह पी.ड.2 हरलाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि नानगराम ने जो जमीन बालेन्द्र को बेची थी वह उसकी खुद की थी एवं रूपयों की जरूरत होने के कारण उसने जमीन बेची थी। प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत गवाह डी.ड 1 बालेन्द्र ने उसे बेची गई जमीन का पैतृक नहीं होना बताया है लेकिन प्रतिवादी संख्या–3 नानगराम द्वारा 11,50,000/– रूपये प्रतिफल के बदले जमीन खसरा नंबर 1063 रकबा 2.45 हैक्टेयर में अपना 1/3 हिस्से का बेचान अपनी वैध, निजी तथा पारिवारिक जरूरत के आधार पर घरेलू धनराशि की आवश्यकता होने पर कब्जा सहित करना व दिनांक 29.10.2021 को विक्रय पत्र का निष्पादन करना एवं दिनांक 30.10.2021 को विक्रय पत्र को उपपंजीयन गुढ़गौड़जी के समक्ष पंजीबद्ध करना बताया है। उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श–10 का अवलोकन करें तो उक्त विक्रय पत्र में कब्जा देने का उल्लेख किया गया है। मौके पर वादीगण काबिज हों, इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण की ओर से पेश नहीं की गई है। विवादित संपति पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति हो और उसमें वादीगण का हिस्सा हो, यह वादीगण अपनी साक्ष्य

से साबित नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने पक्ष में कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। अतः उक्त विवाद्यक संख्या–2 का विनिश्वत वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-3 अनुतोष

23. चूंकि विवाद्यक संख्या-1 व 2 का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया गया है तथा वादीगण उक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण उक्त वाद के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

24. परिणामतः वादीगण बबीता व अन्य की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद बाबत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2021 जो पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-98 में पृष्ठ संख्या-67 क्रम संख्या-20210333110739 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-391 के पृष्ठ संख्या-141 से 150 पर चस्पा किया गया, प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पिंटू व अन्य अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(विनोद कुमार बागड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–1, झुन्झुनू

25. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 24.08.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार बागड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–1, झुन्झुनू